



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275745
CG-DL-E-25082026-275745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4515]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4515]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4700(अ).— चूंकि, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3घ (3D) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक **17.10.2025** की अधिसूचना **का.आ. 4753 (अ)** प्रकाशित की थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राज्य के जिला **उत्तर प्रदेश** में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के किमी 121.800 से किमी 180.420 तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में निहित होगी।

और चूंकि, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **रिट याचिका संख्या 4240 वर्ष 2026**, जिसका शीर्षक कामता प्रसाद सिंह **बनाम सक्षम अधिकारी भा.रा.रा.प्रा./ अपर जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकरनगर व 02 अन्य** है, में पारित अपने दिनांक 17.10.2025 के अंतिम निर्णय के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाले विशिष्ट भूखंड/ सर्वेक्षण संख्या के संबंध में पूर्वोक्त धारा 3घ (3D) की अधिसूचना को रद्द / अपास्त कर दिया है।

अतः, अब, माननीय उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 17.10.2025 की उक्त अधिसूचना **का.आ.4753 (अ)** में संशोधन करती है, और यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूखंड को मूल अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से हटाया / गैर-अधिसूचित हुआ माना जाएगा।

अनुसूची

राज्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के किमी 121.800 से किमी 180.420 तक के भूखंड के लिए मूल 3D अधिसूचना से हटाई जाने वाली / गैर-अधिसूचित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य: उत्तर प्रदेश | जिला: अम्बेडकरनगर | तहसील:टाण्डा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार (निजी/सरकारी)	हटाई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	मुजाहिदपुर	28	निजी	0.0414

[फा. सं. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4700(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), published a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide **S.O. 4753 (E)** dated the **17.10.2025**, declaring that the land specified in the Schedule annexed to the said notification shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances, for the building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 233 on the stretch of land from Km 121.800 to Km **180.420** in the district of Ambedkarnagar in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, the Hon`ble High Court of Allahabad, vide its final judgment dated 06.05.2026 passed in WRIT - C No. - 4240 of 2026 titled Kamta Prasad Singh Vs Competent Officer N.H.A.I. Addl. Distt. Magistrate Ambedkar Nagar And 2 Others, has quashed/set aside the aforementioned Section 3D notification in respect of the specific land parcel/ survey number owned by the petitioners.

Now, therefore, in compliance with the aforesaid order of the Hon`ble High Court, the Central Government hereby *amends/cancelled* the said notification and directs that the land parcels specified in the Schedule below shall stand deleted/denotified.

SCHEDULE

Brief description of the land to be deleted/denotified from the original 3D notification for the stretch of land from Km 121.800 to Km 180.420 of NH No. 233 in the State of Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Survey / Plot Number	Type of Land	Area to be Deleted (in Hectares)
	Mujahidpur	28	Private	0.0414

[F. No. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director